कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 926 /11सी–हरदोई/20978, दिनांक, लखनऊ, अक्टूबर 27 , 2016

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय : जनपद–हरदोई में सण्डीला–बालामऊ मार्ग एस0एच0–25 किमी0 202–203 के मध्य बांयी पटरी पर ग्राम–रेसो के खसरा संख्या–184 में एस्सार ऑयल लि0 के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.06677 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

महोदय,

विषयक प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ एवं प्रभागीय निदेशक, हरदोई की संस्तुति सहित इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रभागीय निदेशक, हरदोई द्वारा प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित अभिलेख/सूचनायें संलग्न की गयी हैं।

1. प्रस्तावित स्थल चिन्हित टोपोशीट एवं संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
2. लो0नि0वि0 द्वारा अनुमोदित ले–आउट प्लान प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
3. संरक्षित वनभूमि घोषित किये जाने वाले गजट की प्रति संलग्न हैं।
4. परियोजना की स्वीकृति एवं प्रस्तावित वनभूमि की गणना प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
5. उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
6. मानक शर्तो के मान्य होने सम्बन्धी शासनादेस की प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
7. क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
8. क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का डिजिटल मैप सी0डी0 सहित, उक्त स्थल चिन्हित टोपोशीट व उक्त स्थल की उपयुक्तता संलग्न है।
9. क्षतिपूरक वनीकरण पर आने वाले व्यय को जमा करने हेतु प्रस्तावक की वचनबद्धता संलग्न है।
10. प्रस्तावित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने हेतु प्रस्तावक की वचनबद्धता संलग्न है।
11. चिन्हित वन स्वरूप भूमि सम्बन्धी प्रभागीय निदेशक का प्रमाण–पत्र संलग्न है।
12. स्वामित्व वाले विभाग (लो0नि0वि0) की अनापत्ति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
13. FRA-2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न हैं।
14. प्रस्तावित स्थल का डिजिटल मानचित्र सी0डी0 सहित प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
15. प्रपत्र के भाग–2, 3 एवं 4 पर सक्षम अधिकारी की आवश्यक टिप्पणी/संस्तुति अंकित कर प्रति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव की एक प्रति भारत सरकार प्रेषित करते हुये स्वीकृति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:प्रस्ताव की दो प्रतियाँ।

भवदीय,

27/X/16

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– / ,उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, हरदोई।
3– डिवीजनल मैनेजर, एस्सार ऑयल लि0, 315, 316 साइबर हाईट, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

(सुरेश चन्द्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।